Dr. Vandana Suman
Professor
Deptt. of Philosophy
H. D. Jain College, Ara
M. A. II Sem.
CC-07 : Gandhian Philosophy

"Swadeshi" "(स्वदेशी)"

गाँधीजी के राजनीतिक विचारों में स्वदेशी का विचार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। स्वदेशी शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'अपने देश का'। "स्वदेशी" का व्यापक सिद्धांत अर्थ है अपने देश में बनी सामग्रियों का व्यवहार तथा विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार।

गाँधीजी के अनुसार स्वदेशी विचार कोई संकीर्ण तथा सीमित विचार नहीं है। यह मानव तथा देश की सीमा को लाँघता है, तथा इस विचार पर आधृत है कि मानव तथा देशों की कार्यक्षमता असीम नहीं है। हर देश का प्रथम कर्त्तव्य सबों के लिए रोजगार, काम तथा भोजन आदि की व्यवस्था करना है, जिसमें पहली व्यवस्था यही है कि सबों को कम से कम इतना तो अवश्य ही उपलब्ध हो जाए। इन बातों को ध्यान में रखने से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि स्वदेशी - सिद्धान्त, स्वदेशी उपयोग तथा गृह-उद्योग की सुरक्षा की बात तो अवश्य करता है, किन्तु इससे यह गलत धारणा नहीं बननी चाहिए कि 'स्वदेशी' का विचार विदेशी सामग्री के पूर्ण बहिष्कार की बात करता है। वह स्वदेश तथा विदेश के विरोध पर आधृत नहीं, बल्कि वह तो दोनों में विरोध मानता भी नहीं, वह तो दोनों के सह अस्तित्व को स्वीकारता है। इसी कारण जब विदेशी वस्तुओं का उपयोग स्वदेश के अस्तित्व के लिए संकट बन जाता है, तब उनके बहिष्कार की बात करता है। यदि विदेश के प्रति विरोध की बात होती, तो यह तो विदेशी सामानों के प्रति 'घृणा' तथा द्वेष उत्पन्न करेगा और गाँधी के अहिंसा - आधृत विचारों में घृणा तथा

जैसा कानून आदि के लिए कोई स्थान नहीं। स्वदेशी विचार भी अहिंसा का ही एकरूप है, अतः इस विचार में किसी के प्रति बुरी भावना के लिए स्थान नहीं है।

गाँधीजी का स्पष्ट विचार है कि यदि देश की प्रगति तथा विकास के लिए किसी भी विदेशी सामग्री की आवश्यकता अनिवार्य हो जाए तो अवश्य उसका प्रयोग होना चाहिए। यदि विदेशी सामग्री के उपयोग से अपने देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो वहाँ स्वदेशी पर बल देना उतना ही अनिवार्य है। जैसे - यदि किसी विदेशी सामान के द्वारा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तथा उस सामान तथा उसके संचालन - व्यवस्था पर अपना पूर्ण नियंत्रण हो, तो वह सामान, स्वदेशी ही है। गाँधीजी कहते हैं कि यदि बाहर की पूंजी से स्वदेशी को प्रोत्साहन मिलता है तो यह स्वदेशी-विचार के सर्वथा अनुकूल है। दवा, उपयोगी औजार, विशिष्ट उपकरण आदि के आयात के विरुद्ध गाँधी कभी न रहे। अतः स्वदेशी-विचार देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही विकसित हुआ है, किन्तु यह विदेशी सामग्री के सर्वथा त्याग की बात नहीं करता स्वदेशी का अर्थ है कि व्यवस्था ऐसी हो कि देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे, तथा राजनीतिक व्यवस्था भी सुचारु रूप से बनी रहे। इनके लिए यदि विदेशी की अनिवार्यता प्रतीत हो, तो उसपर प्रतिबन्ध नहीं है। इसी कारण स्वदेशी विचार में राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता दोनों का विचार जुड़ा हुआ है।

गाँधी जी का विचार है कि राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीयता परस्पर

विरोधी नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। गाँधी जी का कहना है कि वास्तव में राष्ट्रीयता ही अन्तर्राष्ट्रीयता का अनिवार्य उपकरण है। अन्तर्राष्ट्रीयता का अर्थ है - विभिन्न देशों तथा विभिन्न राष्ट्रों के मध्य प्रेम तथा सहयोग का सम्बन्ध और यह तभी सम्भव है जब विभिन्न राष्ट्र रहें। गाँधी जी के अनुसार 'समानता' के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीयता की एक अन्य अनिवार्य आवश्यकता यह भी है कि सभी राष्ट्र अहिंसा तथा शांति के मूल्यों को समझें। युद्ध के लिए प्रेरित होना अन्तर्राष्ट्रीयता का विरोधी लक्षण है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय भावना तो यह अपेक्षा रखती है कि हर राष्ट्र स्वेच्छा से निरस्त्रीकरण में पहल करे।

अतः स्पष्ट होता है कि प्रेम-नियम जिसका उपयोग गाँधी जी मानव-सम्बन्ध पर करते हैं उसी का उपयोग राष्ट्रों के सम्बन्ध पर भी होना चाहिए। प्रेम की पहली आवश्यकता है अपने से अपने 'स्व' से ऊपर उठना इस प्रक्रिया को क्रमशः अधिक से अधिक विस्तृत एवं व्यापक बनाने की आवश्यकता है। हम 'स्व' से ऊपर उठ अपने 'परिवार' तक पहुँचते हैं, पुनः परिवार से 'समाज' तक समाज से 'राष्ट्र' तक तथा पुनः राष्ट्र से मानव-मात्र तक। प्रेम के विकास का यही क्रम है।

अतः गाँधीजी के अनुसार 'स्वदेशी' - विचार कोई संकीर्ण तथा सीमित विचार नहीं है। गाँधी जी के जीवन तथा उनकी विचारधारा का एक प्रमुख आधार यह स्वदेशी का सिद्धान्त है। उनके मतानुसार प्रत्येक भारतवासी को इस परम सिद्धान्त का पालन करना चाहिए। जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने निकटतम पड़ोस को छोड़कर कहीं और जाते

है। तब हम अपने अस्तित्व के एक पवित्र नियम का पालन नहीं करते।

गाँधी जी के शब्दों में "स्वदेशी हमारे अन्दर की वह भावना है जो हमें दूर की चीजों और सेवाओं को त्यागकर केवल निकटतम पास-पड़ोस की चीजों और सेवाओं का उपयोग करने तक सीमित रखती है।" स्वदेशी की भावना हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि सर्वप्रथम हम अपने निकटतम पास-पड़ोसी का ध्यान रखें, उसकी सेवा करें तथा उसकी सेवाएं स्वयं ग्रहण करें। फिर कहीं उससे बाहर वालों की सेवा करें या उनकी सेवा लें। इस प्रकार नियम यह होगा कि "एक पड़ोसी, अन्य पड़ोसी से सेवा प्राप्त करेगा, अपने पड़ोसी को ही अपनी सेवा देगा।"

गाँधी जी के अनुसार स्वदेशी के सिद्धान्त का पालन धार्मिक, राजनीतिक तथा आर्थिक इन तीनों क्षेत्रों में समान रूप से करना चाहिए। "इस प्रकार — (1.) धर्म के सम्बन्ध में मुझे अपने पूर्वजों के धर्म तक ही सीमित रहना चाहिए अर्थात् धर्म के विषय में पास-पड़ोस को ही काम में लाया जाए। अगर मुझे अपने धर्म में दोष दिखाई पड़े तो उससे उन दोषों को निकालकर मुझे अपने धर्म की सेवा करनी चाहिए। (2) राजनीति के क्षेत्र में मुझे स्वदेशीय (Indigenous) संस्थाओं का प्रयोग करना चाहिए तथा उनके प्रमाणित दोषों का निराकरण करके उनकी सेवा करनी चाहिए। (3) आर्थिक क्षेत्र में मुझे केवल उन चीजों का प्रयोग करना चाहिए जो मेरे निकटतम पड़ोसियों के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं और उन उद्योगों में जहाँ-कहीं भी कमियाँ पाईं, उन्हें कुशल तथा पूर्ण बनाकर उनकी सेवा करनी चाहिए।"